


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


संदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं० 38 /2018-15
 बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से
 संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
15/3/19	<p style="text-align: right;">दिनांक-13.05.2016</p> <p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के ज्ञापाक-2074/रा०</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-अमाघाटा मौजा न०-09 खाता न० 28 प्लॉट न० 138 रकवा 05 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 239 पर जमाबदी रैयत श्री/श्रीमति शंभु प्रसाद के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे।</p>	


 13.3.19
 अंचल अधिकारी,
 धनबाद।

25/5/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनवाद।


10/4/19

अभिलेख उपास्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्ता रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 25/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनवाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
20/6/20 को रखे।



अचल अधिकारी
धनवाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
पहासावा मौजा न० 09 खाता 28 प्लॉट
न० 138 रकबा 0.50001 भूमि से सवधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रगत
के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस न० 780 (11) 93-94 के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनवाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमावदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनवाद को भेजे।

लेखापित एव सशोधत।


अचल अधिकारी,
20/6/20


अचल अधिकारी,
20/6/20